# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी –भीलवाडा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाडा द्वारा आयोजित दीवानी फौजदारी राजस्व प्रकरणों की राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.12.2015 के अन्तर्गत

## पीठासीन अधिकारी संजय शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 2039/15

**उनवान**

1.मांगु पिता बेणा कुमावत निवासी कारोई, तहसील व जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. सोहन पिता देवा कुमावत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
2. नारायण पिता गोपी कुमवात निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
3. देवा पिता कजोड कुमावत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा
4. तहसीलदार भीलवाडा

विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू राज0 अधिनियम**

## निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू राज0अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01.09.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 2532, 2533, 2534, कुल किता 03 रकबा 06–03 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है।आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.12.2015 को पंजीबद्व किया गया। विपक्षीगण को सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए इसके उपरान्त विपक्षीगण उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।अतएव

## आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील व जिला भीलवाडा के ग्राम पुर में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आराजी नम्बर 2532, 2533, 2534, कुल किता 03 रकबा 06–03 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी मे फसल कट जाने के पश्चात् 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में करा देवें। प्रार्थी इस कार्य के लिए तहसील भीलवाडा में रूपये 350/– तीन सौ पचास रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में जमा करायेंगें एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिशनर फीस 500/– पॉच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा,खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावें।

आदेश आज दिनांक 12.12.2015 को सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

Scanned by CamScanner